आकार IAS

Shaping Your Dreams

संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना

मुख्य परीक्षा

प्रश्नपत्र-02 | भाग- 01 | इकाई- 02 एवं 03

160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com www.aakarias.com
9713300123, 6262856797, 6262856798

प्रश्न पत्र -02

राजव्यवस्था
Polity

❒ **भाग-1 : संविधान, शासन व्यवस्था, राजनैतिक एवं प्रशासनिक संरचना**

इकाई-2

- भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नीति आयोग।
- भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नृजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसायटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे।

❒ **Part-1 : Constitution, Governance, Political and Administrative Structure**

UNIT-II

- Election Commission of India, Comptroller and Auditor General of India, Union Public Service Commission, Madhya Pradesh Public Service Commission and NITI Aayog.
- Role of caste, religion, class, ethnicity, language and gender in Indian politics, Political parties and voting behavior in Indian politics, civil society and Public movement, National integrity and security issues.

परीक्षा योजना

सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न-पत्र के भाग-I की इकाई-II का **पूर्णांक 30** है

इकाई	प्रश्न	संख्या	x	अंक	=	कुल अंक	आदर्श शब्द सीमा
इकाई-2	अति लघु उत्तरीय	03	x	03	=	09	10 शब्द या 01 पंक्ति
	लघु उत्तरीय	02	x	05	=	10	50 शब्द या 05 से 06 पंक्तियां
	दीर्घ उत्तरीय	01	x	11	=	11	200 शब्द

विषय सूची (CONTENTS)

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
01	निर्वाचन	01 – 06
02	भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	07 – 09
03	संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं	10 – 11
04	लोक सेवा आयोग	12 – 15
05	नीति आयोग	16 – 18
06	भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नृजातीयता, भाषा एवं लिंग	19 – 22
07	भारत राजनीति में राजनीतक दल एवं मतदान व्यवहार	23 – 30
08	सिविल सोसायटी एवं जन–आन्दोलन	31 – 37
09	राष्ट्रीय अखण्डता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे	38
10	नक्सलवाद	39 – 42
11	अलगाववाद	43 – 44
12	आतंकवाद	45 – 48
13	भारतीय सशस्त्र सेनाएं	49
14	भारत के अर्द्धसैनिक बल	50 –53

निर्वाचन (Election)

भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन ही लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। इस हेतु भारतीय संविधान के भाग 15 (अनुच्छेद 324-329) में एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमण्डल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है।

❐ गठन

निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी, 1950 को किया गया था। 1950 में जब निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, तब से लेकर 16 अक्टूबर, 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग के रूप में ही कार्य करता रहा। 1989 को निर्वाचन आयोग को व्यापक रूप देने के उद्देश्य से 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की स्थापना की गई, लेकिन 2 जनवरी, 1990 को पुन: निर्वाचन आयोग को एक सदस्यीय बना दिया गया। आगे चलकर संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1991 पारित किया, जिसके तहत् निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया तथा उसके द्वारा कोई भी निर्णय बहुमत से लिया जाएगा।

❐ नियुक्ति

अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा ऐसी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर की जाती है।

❐ सेवा शर्तें व वेतन

निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो निर्वाचन आयुक्त के पास समान शक्ति होती है तथा उनके वेतन-भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी एक समान होते हैं। इनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, जो भारत की संचित निधि पर भारित है। निर्वाचन आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है।

❐ पदावधि व पदरिक्ति

मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक होता है। वह अपनी पदावधि के दौरान राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है या संसद द्वारा पारित संकल्प से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति व उन्हीं आधार पर ही हटाया जा सकता है, जिस रीति व आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पदावधि से पूर्व राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के आधार पर पदमुक्त कर सकता है।

❐ प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त

संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श करके राष्ट्रपति उसकी सहायता के लिए कुछ प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है।

❐ निर्वाचन आयोग के कार्य

निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं -

1) **निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन** - निर्वाचन आयोग का सर्वप्रथम कार्य निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है। परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के अनुसार प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना चाहिए। इस कार्य को करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा।

2) **निर्वाचक नामावली तैयार कराना** – निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के प्रत्येक सामान्य या मध्यावधि चुनाव के पूर्व निर्वाचक नामावली तैयार कराई जाती है। निर्वाचक नामावली में शामिल के आधार निम्नलिखित हैं –

a) जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। पहले यह आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई,

b) जो भारत का नागरिक हो, तथा

c) जो संविधान या समुचित विधानमण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया है।

3) **राजनीतिक दलों को मान्यता देना** – निर्वाचन आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तब प्रदान की जाती है, जब वह निम्नलिखित शर्त पूरी करता हो –

a) यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6 प्रतिशत मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है,

b) यदि वह लोकसभा में 2 प्रतिशत सीट जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने गए हो,

c) यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता हो।

इसी प्रकार किसी राजनीतिक दल को राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता तब प्रदान की जाती है, जब वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है –

a) यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 6 प्रतिशत प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त उसने सम्बन्धित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हो,

b) यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6 प्रतिशत प्राप्त करता है तथा इसके अतिरिक्त उसने सम्बन्धित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो,

c) यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3 प्रतिशत या 3 सीटें, जो भी ज्यादा हो, प्राप्त किए हो,

d) यदि प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो।

भारत के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल

क्र	पार्टी	प्रतीक	वर्ष
1.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)	हाथ	1885
2.	भारतीय जनता पार्टी (BJP)	कमल	1980
3.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI)	हसिया व बाली	1925
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (CPI-M)	हथौड़ा, हसिया व तार	1964
5.	नेशनल कांग्रेस पार्टी (NCP)	घड़ी	1999
6.	बहुजन समाज पार्टी (BSP)	हाथी	1984

4) **राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न प्रदान करना** – भारत में चुनाव चिह्न 2 प्रकार का होता है आरक्षित तथा अनारक्षित। आयोग मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय राजनीतिक दल को आरक्षित चुनाव चिह्न प्रदान करता है। यदि किसी मान्यता प्राप्त दल का विभाजन होता है और दोनों गुटों में चुनाव चिह्न को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निपटारा निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग के निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

5) **निर्वाचन का संचालन करना** – राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद (लोकसभा एवं राज्यसभा) तथा राज्य विधानमण्डलों (विधानसभा एवं विधानपरिषद्) के निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है।

6) **चुनाव रद्द करना** – निर्वाचन आयोग चुनाव में धांधली होने की स्थिति में चुनाव को रद्द कर सकता है तथा किसी चुनाव क्षेत्र के कुछ मतदान केन्द्र के मतों को निरस्त करके वहां पुन: मतदान की आज्ञा दे सकता है।

7) **उपचुनाव करवाना** – जब कभी संसद या विधानमण्डल का स्थान रिक्त होता है, तब निर्वाचन आयोग उस स्थान को भरने के लिए उपचुनाव कराता है।

8) **उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना** – यदि चुनाव के पश्चात् चुनाव में कोई उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा नियत अवधि के अन्तर्गत अपने चुनाव से संबंधित व्यय का विवरण नहीं देता, तो निर्वाचन आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है।

9) **राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना** – निर्वाचन आयोग संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति तथा राज्य विधानमण्डल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर सम्बद्ध राज्य के राज्यपाल को सलाह देता है।

10) **अन्य कार्य** – निर्वाचन आयोग उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी करता है –

- **a)** राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना,
- **b)** राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार के लिए सुविधा प्रदान करवाना,
- **c)** उम्मीदवारों द्वारा चुनाव में किए जाने वाले व्यय को निश्चित करना,
- **d)** मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना,
- **e)** चुनाव याचिकाओं के संबंध में सरकार को परामर्श देना।

❐ निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता

संविधान में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं –

1) निर्वाचन आयोग के गठन के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। इसका गठन कार्यपालिका या विधायिका द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए यह संवैधानिक निकाय है।

2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

3) निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत नहीं है।

4) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा पारित संकल्प पर ही पद से हटाया जा सकता है।

5) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की श्रेणी में रखा गया है।

6) मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के पश्चात् उनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

7) मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।

❐ निर्वाचन व्यवस्था

भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जो निम्नलिखित हैं –

1) अनुच्छेद 324 स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमण्डल के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति निहित होगी।
2) अनुच्छेद 325 के अनुसार कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश (नस्ल) या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में नामित होने के लिए अपात्र नहीं होगा।
3) अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। जो व्यक्ति भारत का नागरिक है तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, वह मत देने का अधिकार रखता है।
4) संसद तथा प्रत्येक राज्य की विधायिका के चुनाव के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक मतदाता सूची होगी।
5) अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद को निम्नलिखित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है – निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन तथा अन्य निर्वाचन संबंधी मामलों।
6) अनुच्छेद 329 के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन तथा इन क्षेत्रों के लिए आवंटित स्थानों से सम्बन्धित कानून न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि परिसीमन आयोग द्वारा पारित आदेश अंतिम होते हैं, उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

संसद ने अनुच्छेद 327 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्वाचन संबंध में निम्नलिखित कानून बनाए हैं –

1) **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950** – यह अधिनियम मतदाता की योग्यता, मतदाता सूची की तैयारियों, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, संसद तथा राज्य विधायिकाओं में स्थानों के आवंटन आदि के बारे में प्रावधान करता है।
2) **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** – यह अधिनियम निर्वाचन कराने, मतदान, निर्वाचन अपराध, चुनावी विवाद, उपचुनाव, राजनीतिक दलों के पंजीकरण तथा निर्वाचन में प्रशासन तंत्र की भूमिका आदि के बारे में प्रवाधान करता है।
3) **परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952** – यह अधिनियम स्थानों की पुनर्व्यवस्था, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन तथा आरक्षण आदि के बारे में प्रावधान करता है।
4) राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952।
5) निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960।
6) निर्वाचन नियम संहिता, 1961।
7) निर्वाचन चिह्न (आरक्षण व आबंटन) आदेश अधिनियम, 1968।

❐ निर्वाचन सुधार

1) **मतदाता की आयु में कमी** – 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 (1989 से लागू) के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के निर्वाचन के लिए मतदान की उम्र को 21 घटाकर 18 कर दिया गया।
2) **प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि** – राज्यसभा तथा राज्य विधानपरिषद् के चुनावों के लिए 1988 में प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रस्तावकों की संख्या निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का 10% अथवा 10 निर्वाचक, जो कम हो कर दी गई।
3) **निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति** – 1988 में यह प्रावधान लाया गया कि निर्वाचन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति निर्धारित समय के लिए चुनाव आयोग में की जा सकेगी। यह अधिकारी व कर्मचारी निर्वाचन आयोग द्वारा नियंत्रित एवं अनुशासित होंगे।

4) **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग** – चुनाव सुधारों के क्रम में 1998 में पहली बार प्रयोग के तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा दिल्ली विधानसभा चुनावों के कुछ चुने हुए निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। इवीएम का पहला प्रयोग पूर्णरूप से 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया।

5) **मतदान का रद्द होना** – 1989 में यह प्रावधान किया गया कि यदि मतदान केन्द्रों में मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाई जाती है, जैसे – मतदान केन्द्र को लूटना, मतदान केन्द्र पर कब्जा करना, मतदाता को धमकाना आदि, तो मतदान को स्थगित या रद्द किया जा सकता है।

6) **उम्मीदवारों के नाम की सूची बनाना** – चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है –

a) मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार। **b)** गैर–मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों के उम्मीदवार। **c)** निर्दलीय उम्मीदवार।

7) **शराब बिक्री पर रोक** – चुनाव के दौरान मतगणना तिथि के 48 घंटे पहले से निर्वाचन क्षेत्र में शराब नहीं बेची जाएगी।

8) **प्रस्तावों की संख्या** – चुनाव के दौरान नामांकन भरते समय निर्दलीय उम्मीदवार को 10 प्रस्तावकों का समर्थन होना चाहिए, किन्तु मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार के लिए मात्र एक प्रस्तावक ही आवश्यक है।

9) **मतदान के दिन अवकाश** – मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। साथ ही किसी भी उद्योग, व्यापार या किसी संस्थान में कार्यरत् पंजीकृत मतदाता को उस दिन का वेतन भी देना पड़ेगा।

10) **प्रचार समय में कमी** – नाम वापसी की अंतिम तिथि तथा मतदान की तिथि के मध्य न्यूनतम अन्तर 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया है।

11) **राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सुधार** – राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 तथा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या 5 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। इसके साथ ही जमानत राशि 2,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है।

12) **डाक मत पत्र द्वारा मतदान** – 1999 से कुछ विशेष व्यक्तियों के मतदान के लिए डाक मत पत्र का प्रावधान किया गया है।

13) **उम्मीदवारों के संबंध में सुधार** – 2003 से निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक उम्मीदवार को आवेदन पत्र दाखिल करते समय कुछ जानकारियां भरना अनिवार्य कर दी, जैसे – आपराधिक प्रकरण के संदर्भ, सम्पत्ति का ब्यौरा, शैक्षणिक योग्यता, देनदारी आदि। शपथ पत्र में झुठी सूचना दिए जाने पर उसे निर्वाचन नियमावली के विरुद्ध अपराध माना जाएगा।

14) **राज्यसभा निर्वाचन में परिवर्तन** – 2003 में राज्यसभा चुनावों में निवास संबंधी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी उम्मीदवार किसी भी राज्य से राजसभा का चुनाव लड़ सकता है, बस उसे केवल भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। इसके अलावा राजसभा के निर्वाचन में गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान व्यवस्था को लागू किया गया है।

15) **चंदा लेने की स्वतंत्रता** – 2003 से राजनीतिक दलों को किसी व्यक्ति या कंपनी से कोई भी राशि का चंदा स्वीकार करने की स्वतंत्रता है। साथ ही आयकर में राहत प्राप्त करने के लिए 20,000 रुपए से अधिक हर चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी।

16) **नोटा (NOTA) को लागू करना** – चुनाव निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2013 में NOTA सिंबल को चुनाव में सम्मिलित किया। नोटा का मतलब है – None of the Above (इनमें से कोई नहीं), अर्थात् – यदि मतदाता को दिए गए चुनाव चिह्न एवं उनके उम्मीदवार में से कोई भी पद के लिए उपयुक्त नहीं लग रहा है, तो वह NOTA पर निशान लगा सकता है।

17) **राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने पर अयोग्य होना** – राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोधक अधिनियम, 1971 के तहत् यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान एवं भारतीय संविधान के अनादर अपराध करता हो, तो वह 6 वर्ष तक लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा।

18) **एक्जिट पोल पर प्रतिबंध** – 2009 के निर्वाचन सुधार के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों के दौरान एक्जिट पोल करने और उनके परिणामों को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी गई है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान है।

19) **जमानत राशि में वृद्धि** – लोकसभा एवं राज्यसभा के उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि में वृद्धि की गई। लोकसभा चुनाव में सामान्य जाति के उम्मीदावरों के लिए 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवार के लिए 5,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी गई। इसी प्रकार विधानसभा चुनाव में सामान्य जाति के उम्मीदावरों के लिए 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवार के लिए 2,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई।

20) **विदेशों में रहने वाले भारतीयों को मतदान का अधिकार** – 2010 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों (NRI) को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है।

21) **निर्वाचन खर्च में वृद्धि** – वर्तमान में लोकसभा चुनाव में बड़े राज्य के लिए निर्वाचन खर्च 70 लाख रुपए और छोटे राज्य के लिए 54 लाख रुपए हैं। इसी प्रकार विधानसभा चुनाव में बड़े राज्यों के लिए निर्वाचन खर्च 28 लाख रुपए तथा छोटे राज्यों के लिए 20 लाख रुपए हैं।

❐ निर्वाचन आयोग की चुनौतियां

संविधान लागू होने के पश्चात् निर्वाचन आयोग ने भारतीय लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में कार्य किया है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में मतदाताओं की बहुत बड़ी संख्या के साथ निर्वाचन आयोग ने कई सफल चुनाव सम्पन्न कराए हैं। विगत वर्षों में न्यायपालिका के निर्णयों तथा विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों से भी निर्वाचन आयोग की शक्ति में वृद्धि हुई है, किन्तु अभी भी निर्वाचन आयोग को अपने स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो निम्नलिखित हैं –

1) आयोग को राजनीतिक दलों के वित्तीय खातों का लेखा-परीक्षण करने से रोका गया है। ज्यादातर राजनीतिक दल आयोग को अपने वित्तीय खातों का ब्यौरा नहीं सौंपते हैं या फिर आधी-अधूरी जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे मामलों में आयोग के पास राजनीतिक दलों पर सख्त जुर्माना लगाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

2) चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बढ़ता राजनीतिक झुकाव भी निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिह्न लगाता है। वस्तुत: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने हेतु कॉलेजियम व्यवस्था लाना चाहिए।

3) अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए अधिनियमित कानूनों में स्पष्टता नहीं है। परिणामस्वरूप निर्वाचन आयोग सख्त कार्यवाही नहीं कर पाता है।

4) निर्वाचन आयोग के पास स्वतंत्र सचिवालय नहीं है।

5) विभिन्न राजनीतिक दलों में आन्तरिक लोकतंत्र का अभाव है। निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों के आन्तरिक चुनाव कराने का जिम्मेदारी भी देना चाहिए।

6) संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता भी निर्धारित नहीं की गई है तथा इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होगा।

7) निर्वाचन आयुक्तों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् संविधान द्वारा अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है।

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(Comptroller and Auditor General of India - CAG)

भारत सरकार में महान्यायवादी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है। यह भारतीय लेखा परीक्षण तथा लेखा विभाग का प्रमुख होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ-साथ देश की सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। यह संघ तथा राज्यों के समस्त आय-व्यय की निष्पक्ष जांच करता है। भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 148-151** में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का विशद विवेचन किया गया है।

❖ नियुक्ति व शपथ

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संघ मंत्रिमण्डल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है।

❖ पदावधि एवं सेवा की अन्य शर्तें

संविधान में प्रावधान किया गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पदावधि एवं सेवा शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1953 पारित किया। बाद में वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए संसद द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 पारित किया गया, जिसमें 1976, 1984 और 1987 में संशोधन किए गए हैं। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं -

1) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, लेकिन वह -
   - a) यदि अपनी पदावधि को पूरा करने के पहले ही 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो वह पदमुक्त हो जाता है,
   - b) वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है,
   - c) वह राष्ट्रपति द्वारा उसी तरह से हटाया जा सकता है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है,
2) उसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा,
3) उसका समस्त वेतन, भत्ते, पेंशन आदि भारत की संचित निधि पर भारित होंगे,
4) सेवा मुक्त होने के बाद वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा।

❖ कार्य और शक्तियां

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य तथा शक्तियां निम्नलिखित हैं -

1) वह भारत, प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि से किए जाने वाले सभी व्यय की संपरीक्षा करेगा तथा इस संबंध में यह प्रतिवेदन देगा कि व्यय विधि के अनुसार किया गया है या नहीं,
2) वह संघ तथा राज्यों की आकस्मिक निधि तथा सार्वजनिक लेखाओं के लिए किए जाने वाले सभी व्यय की संपरीक्षा करेगा तथा उन पर प्रतिवेदन करेगा,
3) वह संघ या राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए सभी व्यापार तथा विनिमय के लाभ तथा हानि लेखाओं की संपरीक्षा करेगा तथा उन पर प्रतिवेदन देगा,

4) वह संघ और प्रत्येक राज्य की आय और व्यय की संपरीक्षा करेगा, जिससे उसका यह समाधान हो जाए कि राजस्व के निर्धारण, संग्रहण तथा समुचित आवंटन हेतु पर्याप्त जांच करने के लिए उचित प्रक्रिया तथा नियम का पालन किया गया है या नहीं,

5) वह निम्नलिखित निकायों तथा निगमों की प्राप्ति और व्यय की संपरीक्षा करेगा तथा उस पर प्रतिवेदन देगा

a) संघ और राज्य के राजस्व से वित्तपोषित सभी निकायों और प्राधिकारियों की,

b) सरकारी कंपनियों की,

c) अन्य निगमों और निकायों की।

इस प्रकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अर्द्ध-संसदीय कार्य एवं शक्तियां प्रदान की गई हैं। 1976 से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य में परिवर्तन लाते हुए उसे लेखांकन के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। वर्तमान में वह केन्द्र सरकार के लिए केवल अंकेक्षण तथा राज्यों के लिए लेखांकन एवं अंकेक्षण दोनों प्रकार के कार्य को सम्पन्न करता है।

❖ प्रतिवेदन

अनुच्छेद-151 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवर्ष अपनी संपरीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रपति के माध्यम से संसद को प्रस्तुत करता है। ठीक इसी प्रकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, जो उसे राज्य विधानसभा के समक्ष रखवाता है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं सरकार के मामलों में संसदीय लोक लेखा समिति (Public Account Committee - PAC) को तथा राज्यों में राज्य विधानमण्डल की लोक लेखा समितियों को सौंपी जाती है।

❐ मध्य प्रदेश का महालेखाकार (Accountants General of Madhya Pradesh)

मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यलय भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का एक भाग है, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधीन कार्यरत् है। इसकी स्थापना मई, 1985 में हुई थी। इसका मुख्य कार्यालय ग्वालियर में, जबकि शाखा कार्यालय भोपाल में है। यह कार्यालय मध्य प्रदेश सरकार के सिविल व वाणिज्य विभागों तथा मध्य प्रदेश में स्थित केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों व संगठनों की लेखा परीक्षा करता है।

❖ कार्य

मध्य प्रदेश के महालेखाकार के निम्नलिखित कार्य हैं -

1) राज्य सरकार के वार्षिक वित्त खातों एवं विनियोजित खातों को तैयार करना।

2) वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों का प्रमाणीकरण।

3) मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के आय-व्यय की परीक्षा करना।

4) ट्रेजरी खातों का निरीक्षण व लेखा परीक्षण करना।

5) राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन खातों का प्रबंधन करना।

6) केन्द्र सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं का लेखा परीक्षण कर उसका प्रमाण-पत्र जारी करना।

उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षण प्रशासन का एक महत्वपूर्ण व आवश्यक अंग है। इस कार्य को सम्पादित करने का मुख्य कर्तव्य भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक का होता है। इसी के नियंत्रणाधीन मध्य प्रदेश का महालेखाकार राज्य सरकार के लेखा संबंधी कार्यों का परीक्षण कर भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक की सहायता करता है।